भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1446

20 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: कपास हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

1446. डॉ॰ (प्रो॰) महेन्द्र मुंजपराः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) क्या सरकार ने फैसला किया है कि कृषि लागत और मूल्यआयोग (सीएसीपी) जैविक कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) की घोषणा पर विचार कर सकता है और यदि हां, तोतत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है/निर्णयलिया है/लेने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसकेक्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) जैविक कपास के लिए पृथक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कपास की दो मूलभूत किस्मों अर्थात मध्यम रेशा कपास और लंबा रेशा कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। इसके अलावा, बीज कपास की इन दो आधारभूत श्रेणियों के समर्थन मूल्यों के आधार पर और गुणवत्ता में अंतर, सामान्य मूल्य अंतर तथा अन्य प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के बीज कपास की अन्य श्रेणियों के लिए समर्थन मूल्य वस्त्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीज कपास की ये श्रेणियां आधारभूत रेशे की लंबाई और माईक्रोनेयर मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कपास की उन सभी किस्मों जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है का प्रापण भारतीय कपास निगम (सीसीआई),कपास की खरीद के लिए नोडल एजेन्सी द्वारा एफएक्यू मानकों को पूरा करने के अध्यधीन किया जाता है। तथापि, किसानों को अपने उत्पाद सरकारी एजेन्सियों अथवा मुक्त बाजार में बचने का विकल्प होता है क्योंकि यह इनके लिए लाभकारीहोता है)।

*****